प्रेस नोट **दिनांक 01.08.2026**

बन्दर के बच्चे को गोली मारने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एअरगल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनूप कुमार, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में कानून एंव शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु दिनांक 31.07.2026 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-326/20026 धारा 325/299/3(5) बीएनएस व 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि० जिसमें अभि० सफरूद्दीन उर्फ सफर पुत्र अव्दुल कुद्दस निवासी रघौली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31.07.2026 को बन्दर के बच्चे को एअरगन से गोली मारकर मृत्यु कारित कर दिया गया था बन्दर के मृत बच्चे का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराते हुए अंतिम संस्कार किया गया, तथा गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर उक्त अभियुक्त सफरूद्दीन उर्फ सफर पुत्र अव्दुल कुद्दस निवासी रघौली थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एअरगन को बरामद करते हुए जमीरा नहर की पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. सफरूद्दीन उर्फ सफर पुत्र अव्दुल कुद्दस निवासी रघौली थाना घोसी जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0-326/2026 धारा 325, 299, 3 (5) बीएनएस व 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0-492/2025 धारा 115(2), 352, 351 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ।

आज दिनांक 01.08.2026 को तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर एव मुख्य विकास अधिकारी श्री बिवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष

रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

साइबर क्राइम थाना मऊ द्वारा अन्तर्राज्यीय 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 02 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में,एवं चोरी के 23 मोबाइल फोन बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2026, धारा 318(4), 319, 317, 111(3) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान निरीक्षक योगेन्द्र प्रसाद सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना के सफल अनावरण के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक, तकनीकी एवं अभिलेखिय साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना पर रामलीला मैदान, रेलवे स्टेशन के पास से 03 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार व 02 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/बाल अपचारी का विवरण-

1. सुदामा महतो पुत्र स्व. महेंद्र महतो, निवासी महराजपुर नया टोला, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड), उम्र लगभग 46 वर्ष।
2. राजू शर्मा पुत्र महावीर शर्मा, निवासी उपरोक्त, उम्र लगभग 30 वर्ष।
3. छोटू कुमार शाह पुत्र ब्रह्मदेव शाह, निवासी महराजपुर बाजार, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड), उम्र लगभग 19 वर्ष।

बाल अपचारी-

1. अनूप कुमार मंडल पुत्र विकास मंडल, निवासी नया टोला कल्याणी महराजपुर बाजार, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड), उम्र लगभग 16 वर्ष।
2. रोहन नोनिया पुत्र महेश नोनिया, निवासी महराजपुर नया टोला, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड), उम्र लगभग 14 वर्ष।

बरामदगी-

अभियुक्तों व बाल अपचारी के कब्जे से कुल 23 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें विभिन्न कंपनियों के स्मार्टफोन एवं कीपैड फोन शामिल हैं। बरामद मोबाइलों में से 17 मोबाइल फोन चोरी के पाए गए, जबकि शेष मोबाइल अभियुक्तों के व्यक्तिगत उपयोग के बताए गए हैं। बरामद मोबाइलों में ब्लैकजोन, रियलमी, वीवो, मोटोरोला, सैमसंग, ओप्पो, आईक्यूओओ, इंफिनिक्स, रेडमी, लावा एवं वनप्लस कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे बाजारों, सब्जी मण्डी एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल फोन चोरी करते थे। चोरी किए गए मोबाइलों से सिम कार्ड निकालकर अन्य मोबाइल में लगाकर यूपीआई आईडी बनाते थे तथा विभिन्न दुकानदारों के खातों में धनराशि स्थानांतरित कर नकद रुपये प्राप्त कर लेते थे। इसके अतिरिक्त चोरी के मोबाइल फोन झारखंड ले जाकर साइबर अपराधियों को बेच देते थे।

पूछताछ में अभियुक्त छोटू कुमार शाह ने यह भी स्वीकार किया कि थाना साइबर क्राइम मऊ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 11/2026 से संबंधित वीवो Y19E मोबाइल दिनांक 24.04.2026 को मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी से प्राप्त होने के बाद उसका दुरुपयोग कर यूपीआई के माध्यम से धनराशि निकालकर खर्च कर दी गई तथा बाद में मोबाइल झारखंड में बेच दिया गय

अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 318(4), 319, 317, 111(3) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बरामद समस्त मोबाइल फोन को नियमानुसार सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

<u>अपराध करने का तरीका-</u> अभियुक्तगण द्वारा 02-02 के ग्रुप में जनपद मऊ व आस पास के जनपदों में भिन्न-भिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे सब्जी मण्डी, प्रमुख बाजार आदि पर जिस व्यक्ति द्वारा अपने फोन को शर्ट के पॉकेट में रखा जाता था, उसका चिह्नीकरण कर उसके पास दोनो व्यक्ति जाकर उसका ध्यान भटकाते हुये उसकी शर्ट के पॉकेट से मोबाईल चोरी कर लेते थे। चोरी के पश्चात यदि उक्त चोरी हुवे सिम से बैंक अकाउंट में पंजीकृत होता था तो नया यूपीआई बनाकर उसके खाते से रुपये निकासी अन्य खाते अथवा किसी दूकान पर कर लेते थे एवं प्राप्त रुपयों का उपयोग अपने भौतिक सुख में कर लेते थे।

<u>अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास-</u>

- अभियुक्त सुदामा महतो पुत्र स्व. महेंद्र महतो, निवासी महराजपुर नया टोला, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड)
    1. मु0अ0स0 393/2015 धारा 401/41/411/414 IPC थाना कोतवाली आजमगढ़।
    2. मु0अ0स0 394/2015 धारा 3/25 Arms Act थाना कोतवाली आजमगढ़।
    3. मु0अ0स0 54/2021 धारा 379/411/413/414 IPC थाना कोतवाली आजमगढ़।
    4. मु0अ0स0 56/2021धारा 307/34 IPC थाना कोतवाली आजमगढ़।
    5. मु0अ0स0 57/2021 धारा 3/25 Arms Act थाना कोतवाली आजमगढ़।
    6. मु0अ0स0 58/2021 धारा 411/413/414 IPC थाना कोतवाली आजमगढ़।
- राजू शर्मा पुत्र महावीर शर्मा निवासी महराजपुर नया टोला, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड)
    1. मु0अ0स0 138/2024 धारा 411/413/414 IPC थाना जी.आ.पी. गोरखपुर।
    2. मु0अ0स0 28/2021 धारा 379/401/411/413 IPC थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर।
    3. मु0अ0स0 49/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर।
- बाल अपचारी अनूप कुमार मंडल पुत्र विकास मंडल, निवासी नया टोला कल्याणी महराजपुर बाजार, थाना तालझाड़ी, जनपद साहिबगंज (झारखंड)
    1. मु0अ0स0 118/2024 धारा 379/411 IPC थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

हत्या का प्रयास करने वाला एक नफर अभियुक्त की गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद-

अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक दिनांक 01.08.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम सूरजपुर से 100 मीटर आगे पंचमहला से मु0अ0स0 232/26 धारा मु0अ0सं0 232/2026 धारा 3(5), 115(2), 118(1), 126(2), 351(3), 109(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शैलेष यादव पुत्र

मैनेजर निवासी सूरजपुर मौर्चा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त प्रकरण में बरामदगी के आधार पुर धारा 4/25 आर्म एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उल्लेखनी है कि दिनांक 02.07.2026, समय 05 -बजे शाम गाँव में मेड़ बांधने के विवाद को लेकर चाकू से हमला कर दिया था

नाम गिरफ्तार अभियुक्त

1- शैलेष यादव पुत्र मैनेजर निवासी सूरजपुर मौर्चा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

घर ग्राम सूरजपुर मौर्चा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से 100 मीटर आगे पंचमहला से समय करीब 12.45 बजे

बरामदगी का विवरण –

1- एक अदद चाकू

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 01.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 36 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 479 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही

करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त असलम अंसारी पुत्र फैजूल हसन निवासी-सलेमपुरा हकीकतपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2. थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अनिल गुप्ता पुत्र शिवपूजन गुप्ता निवासी ग्राम कमलातिवारी पुरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपहरण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अपहृता सकुशल बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.08.2026 को समय करीब 08:10 बजे थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भिखारीपुर मंदिर के पास से मु0अ0सं0-102/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त चन्द्रिका पुत्र सत्येन्द्र चौहान निवासी ग्राम सोहिलपुर थाना घोसी जनपद मऊ, को गिरफ्तार कर अपहृता नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा अभियुक्त को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. चन्द्रिका पुत्र सत्येन्द्र चौहान निवासी ग्राम सोहिलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0-102/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक 01.08.2026

2. समय करीब 08:10 बजे।